झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 1056 वर्ष 2020

सीमा तिवारी, उम्र लगभग 47 वर्ष, स्वर्गीय रामबाबू तिवारी की पत्नी, मकान संख्या 103 वार्ड संख्या 3, श्रीकांत रोड, बेलाबागान, देवघर, डाकघर, थाना और जिला–देवघर, झारखंड। ... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य, द्वारा प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, कार्यालय–परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, कार्यालय–परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची।
3. उपायुक्त, देवघर, कार्यालय–डाकघर, थाना और जिला–देवघर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, देवघर, कार्यालय–डाकघर, थाना और जिला–देवघर।
5. जिला शिक्षा अधीक्षक, देवघर, कार्यालय–डाकघर, थाना और जिला–देवघर।
6. प्रभारी प्रधानाध्यापक, गवर्नमेंट हाई स्कूल, कोयडीडीह, देवघर, डाकघर–कोयरीडीह, थाना और जिला–देवघर।
7. कोषागार पदाधिकारी, देवघर, डाकघर, थाना और जिला–देवघर, झारखंड।

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री अजय सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिए: श्री शिवम सहाय, अधिवक्ता

4 / 20.01.2021 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय सिंह और राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवम सहाय को सुना।

इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

वर्तमान रिट याचिका को स्वर्गीय रामबाबू तिवारी की मुत्यु के कारण उनके मृत्यु सह सेवानिवृत्त लाभों के हिस्सा के भुगतान हेतु दायर किया गया है।

इस मामले में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रति–शपथ पत्र दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अपनी पहली पत्नी से रामबाबू तिवारी की बेटी रूपा कुमारी ने भी अपने मृतक पिता के मृत्यु सह सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान के लिए अधिकारियों के समक्ष दावा किया है। याचिकाकर्ता और उसकी सौतेली बेटी के बीच विवाद के कारण जिला शिक्षा अधिकारी देवघर ने याचिकाकर्ता से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगा है।

याचिकाकर्ता ने अंचलाधिकारी, देवघर द्वारा जारी किये गये परिवार प्रमाण पत्र के आधार पर मृत्यु सह सेवानिवृत्त लाभों के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया है। स्वीकार्य सेवा निवृत्त लाभों को मृतक कर्मचारी के विधिक उत्तराधिकारियों के बीच वितरित करने क निर्देश के साथ सक्षम प्राधिकारी के द्वारा मंजूरी दी गई थी। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वर्गीय रामबाबू तिवारी के कानूनी उत्तराधिकारयों को राशि का भुगतान

करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपना आवश्यक बैंक खाता संख्या प्रस्तुत नहीं किया। याचिकाकर्ता को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था।

प्रति शपथ पत्र में बताए गए तथ्यों के मद्देनजर, यह प्रतीत होता है कि इस तरह के भुगतान के लिए दो दावे हैं और विभाग ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने के लिए सही रूप से कहा है। याचिकाकर्ता सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता पर है, उसके बाद आवश्यक कार्यवाई के लिये संबंधित प्राधिकारी से सम्पर्क करें। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर संबंधित प्राधिकारी मामले की नए सिरे से जांच करेगा और उचित तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा।

उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, इस रिट याचिका को निष्पादित किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)